

कोविड मरीजों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिल सकेगी

जई दिल्ली | एजेन्सी

चुनाव आयोग की एक घोषणा ने उन वोटर्स को परेशानी को दूर कर दिया है जो बुढ़ तक जाकर वोट करने में दिक्कत महसूस करते थे। आयोग ने बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों को घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी।

क्या है डोरस्टेप वोटिंग?

अब 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग वोटर्स को और कोरोनावायरस से

प्रभावित लोगों को घर से वोट देने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। डोरस्टेप वोटिंग की सुविधा पोस्टल बैलट की सुविधा का अग्रग्रेड वर्जन माना जा रहा है। डोरस्टेप वोटिंग में जो भी लोग वोट करना चाहेंगे, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इसी के नए प्रावधानों के तहत यह फॉर्म उन्हें बुढ़ स्तर के अफसर की तरफ से घर जाकर दिया जाएगा और इसके लिए तारीखों का एलान पहले से ही हो जाएगा। वोट करने वालों के नाम नोट किए

जाएंगे और इन्हें राजनीतिक दलों को मुहैया कराया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रह सके। आयोग की तरफसे पोलिंग दलों का गठन करेगा। इन पोलिंग दलों की संख्या डोरस्टेप वोटिंग की मांग करने वालों के आधार पर तय की जाएगी। यही पोलिंग दल बाद में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए घर-घर जाएंगे और सीलबंद लिफाफे में रखे गए फॉर्म्स को जुटाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

50 हजार सीएपीएफ जवानों की होगी तैनाती

नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लगभग 50 हजार जवानों को तैनात किया जा रहा है। आधिकारिक समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती चरण में सीएपीएफ के तहत आने वाले सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस), सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) आदि की 500 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में कम से कम 100 से 150 ए.एस. और इकाइयों को भी जोड़ा जा सकता है।